न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामसर

पीठासीन अधिकारी :—अनिल कुमार आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या —05/2012

अपीलकर्ता	बनाम	उत्तरदाता
1. छैलसिंह पुत्र बलवन्त सिंह जाति राजपुत निवासी रामसर तहसील रामसर।	बनाम	1. सरपंच ग्राम पंचायत रामसर। 2. रामसिंह पुत्र भैरसिंह 3. लीलसिंह पुत्र भैरसिंह 4. रघुनाथ सिंह पत्र बलवन्त सिंह

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम

आदेश

दिनांक 18.03.2024

संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार हैं कि मौजा रामसर पटवार हल्का रामसर तहसील रामसर के खसरा संख्या 2 रकबा 36.14 बीघा खसरा संख्या 219 रकबा 130.07 बीघा खसरा संख्या 225 रकबा 130.02 बीघा खसरा संख्या 240 रकबा 364.06 बीघा व खसरा संख 119 रकबा 18.08 बीघा कुल रकबा 679.17 बीघा उपरोक्त समस्त खसरान की भूमि का पर्चा लगान सतीदानसिंह , भैरसिंह पिसरान पीरदानसिंह के नाम संयुक्त रूप से जारी किया गया। तत्पश्चात सतीदानसिंह व भैरसिंह ने संयुक्त रूप से खसरा संख्या 219 रकबा 130.07 बीघा में से 100 बीघा भूमि का बेचान दिनांक 20.05.1960 को सुरतान पुत्र हाजी को किया गया जिस पर नामान्तकरण संख्या 93 दिनांक 09.05.1971 को पारित किया गया खसरा संख्या 215/1 रकबा 100 बीघा भूमि सुरतान पुत्र हाजी के नाम से तथा खसरा संख्या 219 की शेष भूमि 30.07 बीघा सतीदानसिंह व भैरसिंह के नाम राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद है। तत्पश्चात खातेदार भैरसिंह के फोत होने पर फौतगी का नामान्तकरण संख्या 78 दिनांक 09.05.1971 को पारित कर भैरसिंह के स्थान पर उतरदाता संख्या 2 व 3 का नाम दर्ज करने हुए वादग्रस्त भूमि खसरा संख्या 2 रकबा 36.14 बीघा खसरा संख्या 219 रकबा 30.07 बीघा खसरा संख्या 225 रकबा 130.02 बीघा तथा खसरा संख्या 240 रकबा 364.06 बीघा व खसरा संख्या 119 रकबा 18.08 बीघा कुल रकबा 679.17 बीघा में सतीदानसिंह का 1/2 हिस्सा व उत्तरदाता संख्या 2 व 3 का 1/2 हिस्सा दर्ज किया गया। तत्पश्चात सतीदानसिंह ने खसरा संख्या 240 रकबा 364.06 बीघा भूमि में से अपने 1/2 हिस्से की रकबा 182.03 बीघा भूमि मे से 120 बीघा भूमि का बेचान दमा पुत्र आसा व रूपा पुत्र आसा को दिनांक 13.09.1971 को जरिये पंजीबद्ध विक्रय पत्र संख्या 488/71 के किया गया जिससे शेष रही खसरा संख्या 240 रकबा 244.06 बीघा में सतीदानसिंह का 17/46 तथा उत्तरदाता संख्या 2 व 3 का 29/46 हिस्सा रहा तथा शेष समस्त खसरा संख्या 2,219,225,119 की भूमि में पूर्व का 1/2—1/2 हिस्सा कायम रहा परन्तु सतीदानसिंह द्वारा दिनांक 13.09.1971 को खसरा संख्या 240 में किये गये बेचान के आधार पर पारित नामान्तकरण संख्या 102 दिनांक 15.06.1972 में समस्त पांचों खसरान में गलत रूप से सतीदानसिंह का 17/46 हिस्सा तथा उत्तरदाता संख्या 2 व 3 का 29/46 हिस्सा दर्ज कर दिया गया । जो सरासर गलत हिस्सा दर्ज किया गया क्योंकि सतीदानसिंह द्वारा मात्र खसरा संख्या 240 का ही बेचान किया गया तथा अन्य खसरो का बेचान नहीं किया गया परन्तु अपीलाण्ट के पूर्वज सतीदानसिंह को उक्त गलत हिस्सों का अंकन नही होने की जानकारी तत्समय नही हुई तत्पश्चात

उपखण्ड अधिकारी
रामसर

सतीदानसिंह के फोत होने पर उनकी फौतगी नामान्तकरण संख्या 207 पारित किया जाकर अपीलाण्ट व उत्तरदाता संख्या 4 व गिरधरसिंह का नाम राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया गया। बाद में बाद में गिरधरसिंह लाऔलाद फोत होने से समस्त पांचों खसरों में अपीलाण्ट व उत्तरदाता संख्या 4 का 17/46 हिस्सा व उत्तरदाता संख्या 2 व 3 के 29/46 हिस्सा गलत अंकित करते हुये गलत अंकन किया गया जो आज दिन तक बदस्तुर चल रहा है। इस कारण नामान्तकरण संख्या 102 दिनांक 15.06.1972 को निरस्त करने हेतु नये सिरे से नामान्तकरण हेतु उक्त अपील दिनांक 12.08.2015 को दर्ज करने हेतु रजिस्टर की गई। उत्तरदातागण सम्मन तामिल बाद उपस्थित नही होने से एकपक्षीय कार्यवाही कर जवाब का अवसर बंद किया गया।

अपीलाण्ट के वकील की एक पक्षीय बहस सुनी गई। समस्त विधिक परिप्रेक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए अपीलकर्ता की अपील स्वीकार की जाकर नामान्तकरण संख्या 102 दिनांक 15.06.1972 को अपास्त किया जाकर मौजा रामसर के खसरा 240 रकबा 244.06 बिघा में अपीलाण्ट एवं उत्तरदाता संख्या 4 का 31/122 तथा उत्तरदाता संख्या 2 व 3 का 91/122 तथा मौजा रामसर के खसरा संख्या 2 रकबा 36.14 बीघा , खसरा संख्या 219 रकबा 30.07 बीघा खसरा संख्या 225 रकबा 130.02 बीघा व मौजा रामसर आगौर के खसरा संख्या 119 रकबा 18.08 बीघाा में अपीलाण्ट व उत्तरदाता संख्या 4 का 1/2 हिस्सा व उत्तरदाता संख्या 2 व 3 का 1/2 हिस्से अनुसार नये सिरे से नामान्तकरण पारित किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है।

निर्णय आज दिनांक 18.03.2024 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी, रामसर
दिनांक : 18/3/24

क्रमांक : रीडर/2024/1090-93
प्रतिलिपि :–

1. तहसीलदार रामसर
2. सरंपच ग्राम पंचायत रामसर।
3. छैलसिंह पुत्र वलवन्त सिंह जाति राजपुत निवासी रामसर तहसील रामसर।
4. उत्तरदातागण राम सिंह पत्र भैरसिंह वगेराह।

उपखण्ड अधिकारी रामसर